भारत संघ

बनाम

आर.वी. स्वामी उर्फ वेल्लैचामी

31 मार्च, 1997

[के. रामास्वामी तथा डी.पी. वाधवा, न्यायमूर्तिगण]

पेंशन—केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना—पात्रता—पेंशन हेतु उत्तरदाता का दावा—साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात सरकार द्वारा दावा स्वीकार नहीं किया गया—रिट—उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता को पेंशन प्रदान करने का निर्देश—भारत संघ द्वारा अपील—अभिनिर्धारित किया गया, कि यह साक्ष्यों का विशुद्ध मूल्यांकन होने के कारण, उच्च न्यायालय उत्तरदाता को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने का निर्देश देने में न्यायोचित नहीं था—उत्तरदाता की पत्नी को पेंशन के अनुदान हेतु राज्य सरकार के समक्ष अभिगमन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन—पात्रता प्रमाण-पत्र—प्रदान करने के लिए सक्षम व्यक्ति—भारत सरकार को दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

मुकुंद लाल भंडारी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य, **[1993] अनुपूरक 3 एस.सी.सी. 2** *तथा भारत संघ बनाम मोहन सिंह तथा अन्य,* **[1996] 10 एस.सी.सी. 351, का उल्लेख किया गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1997 की दीवानी अपील सं. 2679।

1994 की रिट याचिका सं. 11957 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 3.1.96 के निर्णय तथा आदेश से।

हेमंत शर्मा तथा पी. परमेश्वरन, अपीलकर्ता की ओर से।

सुश्री एन. अन्नापूरणी तथा ए. मरिअर्पुथम (एन.पी.), उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदत्त किया गया :

प्रतिस्थापन अनुज्ञात किया गया।

अनुमति प्रदान की गई। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 3.1.1996 को 1994 की रिट याचिका सं. 11957 में दिए गए निर्णय से उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के मूल्यांकन पर निर्णय के कंडिका 9 में निम्नवत् अभिलक्षित किया है :—

> "मैंने याचिकाकर्ता तथा उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी। पाँच प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रमाण-पत्र दिए हैं, जो स्वयं योजना के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र देने के लिए पात्र थे और इन प्रमाण-पत्रों को अविश्वसनीय ठहराने हेतु कुछ भी कथित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों के दृष्टिगत, यद्यपि 1942-43 की संबंधित अवधि के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि वे नष्ट हो गए थे, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का दावा तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक में भी स्थान पाता है और यह इस दावे का और अधिक समर्थन करता है कि उसने अलीपुरम कारागार में दो माह की अवधि का कारावास भोगा था। मदुरै के समाहर्ता की यह प्रतिवेदन कि गिरफ्तारी वारंट के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है अथवा यह प्रदर्शित करने हेतु कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, निर्णायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित करने हेतु कुछ भी नहीं है कि ऐसे कथन का आधार क्या है। यदि यह उन प्राधिकारियों अथवा उस न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होता, जिसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया

था, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। किसी भी दशा में, उसी समाहर्ता ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय पेंशन स्वीकृत किए जाने की भी अनुशंसा की थी। पूर्व अवसर पर भी, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान किए जाने की अनुशंसा की थी, जैसा कि प्रथम उत्तरदाता को संबोधित दिनांक 22.1.1982 के पत्र से देखा जा सकता है। इस प्रकार, वाद की समग्र परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा मत है कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार की एस.एस.एस. पेंशन योजना के अधीन पेंशन के अनुदान का हकदार है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि याचिकाकर्ता 14.12.1981 से पेंशन प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है और याचिकाकर्ता ने प्रथम उत्तरदाता के समक्ष तृतीय बार आवेदन किया था तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस न्यायालय ने वाद को प्रथम उत्तरदाता को प्रतिप्रेषित किया था और प्रथम उत्तरदाता ने थंगावेला बनाम भारत सरकार, (1994) 1 एम.एल.जे. 622 में दिए गए दिशानिर्देशों तथा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया, मैं यह नहीं समझता कि प्रथम उत्तरदाता को पुनः याचिकाकर्ता के वाद पर विचार करने का निर्देश देना उपयुक्त है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता माँगी गई पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।"

उच्च न्यायालय ने आर.वी. स्वामी उर्फ आर. वेल्लैचामी, जिनका निधन हो चुका है, को पेंशन प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अधीन पेंशन के अनुदान हेतु विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर प्रतिस्थापित किया गया है। योजना निम्नवत् उपबंधित करती है :—

"4. कौन पात्र है :

योजना के अधीन सम्मान पेंशन के अनुदान के प्रयोजन से, स्वतंत्रता सेनानी वह है :

(ए) ऐसा पेंशनभोगी, जिसने स्वतंत्रता से पूर्व मुख्यभूमि के कारागारों में न्यूनतम छह माह का कारावास भोगा हो। तथापि, भूतपूर्व आई.एन.ए. कार्मिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यदि उनके द्वारा भोगा गया कारावास/निरोध भारत के बाहर हुआ हो।

(बी) महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, पेंशन की पात्रता हेतु वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि 1.8.1980 से घटाकर तीन माह कर दी गई है।

स्पष्टीकरण : 4. पात्रता अवधि की गणना के लिए कारावास की खंडित अवधि को जोड़ा जाएगा।

ऐसा व्यक्ति, जो छह माह से अधिक अवधि तक भूमिगत रहा हो, बशर्ते कि वह :

1. उद्घोषित अपराधी रहा हो; अथवा

2. ऐसा व्यक्ति रहा हो, जिसके गिरफ्तारी/सिर पर इनाम की घोषणा की गई हो; अथवा

3. ऐसा व्यक्ति रहा हो, जिसके निरोध आदेश जारी किए गए हों, किन्तु तामील नहीं किए गए हों।"

अतः प्रश्न यह है : क्या उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण विधि में सही है? इस न्यायालय ने *मुकुंद लाल भंडारी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य,* [1993] अनुपूरक 3 एस.सी.सी. 2 के पृष्ठ 5 पर निम्नवत् अभिनिर्धारित किया था :—

"जहाँ तक प्रमाण की पर्याप्तता का संबंध है, योजना स्वयं उन दस्तावेजों का उल्लेख करती है, जिन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस न्यायालय के लिए उन दस्तावेजों का परीक्षण करना संभव नहीं है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया था, तथा उनकी प्रामाणिकता पर निर्णय देना भी संभव नहीं है। यह कार्य सरकार का है। अतः, हम तदनुसार निर्देश देंगे।"

भारत संघ बनाम मोहन सिंह तथा अन्य, [1996] 10 एस.सी.सी. 351 में उच्च न्यायालय ने वहाँ के उत्तरदाता के वाद पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान हेतु सरकार को विचार करने का निर्देश दिया था। वहाँ के उत्तरदाताओं ने सह-बंदी तथा एक विधायक के प्रमाण-पत्र का अवलंबन किया और उसी आधार पर पेंशन की माँग की। सरकार ने प्रमाण-पत्र पर विचार किया और उसे स्वीकार्य नहीं पाया। जब दूसरी रिट याचिका इस आधार पर ग्रहण की गई कि विधायक का प्रमाण-पत्र पर्याप्त प्रमाण था, तब इस न्यायालय ने *मुकुंद लाल भंडारी* के वाद में दिए गए निर्णय का अवलंबन करते हुए कंडिका 5 में, जैसा कि पूर्व में उद्धृत किया गया है, अभिनिर्धारित किया।

इस वाद में, साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि उत्तरदाता के विरुद्ध उद्घोषित अपराधी के रूप में जारी किए गए किसी वारंट का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और न ही वास्तविक दंडादेश का संकेत करने वाला कोई वास्तविक प्रमाण उपलब्ध है।

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर अवलंबन साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है।

प्रश्न यह है : क्या उच्च न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन करने तथा यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि उत्तरदाता स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का दावा करने हेतु एक स्वतंत्रता सेनानी है। सरकार ने वस्तुतः उस साक्ष्य पर विचार किया था और निम्नवत् कथित किया था :—

"माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में आपके वाद का पुनः परीक्षण किया गया है। तथापि, यह खेद का विषय है कि निम्नलिखित कारणों से आपको पेंशन प्रदान करना संभव नहीं हुआ है :

(i) तमिलनाडु सरकार ने प्रतिवेदित किया है कि आपके विरुद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया गया था और छह माह से अधिक अवधि तक भूमिगत रहने के आपके दावे के प्रमाण में कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

(ii) सितंबर, 1941 के द्वितीय सप्ताह से नवंबर, 1941 के प्रथम सप्ताह तक की दावा की गई कारावास अवधि के संबंध में कोई कारागार अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(iii) चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदित अनुसार आपके विरुद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट आदि जारी नहीं किया गया था, इसलिए श्री पी.एस. लक्ष्मीपति राजू, ए.बी. नागियर, डॉ. टी. खानन, डी. रामकृष्णन, आई. मायांडी भारती तथा ए.के. सोन्नामुथु के प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि पेंशन की स्वीकृति हेतु व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट आदि जारी किए जाने से पूर्व सरकार की किसी कार्यपालक कार्रवाई के कारण भूमिगत रहना चाहिए था।

(iv) आपके द्वारा प्रस्तुत, आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट आदि जारी किए जाने के संबंध में अभिलेख अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, 1988 में जारी किया गया था, जिसमें आपने अपने आवेदन में वाद संख्या आदि के विशिष्ट विवरणों का उल्लेख नहीं किया था। चूँकि पूर्व में 1985 में राज्य सरकार पहले ही यह सूचित कर चुकी थी कि आपके विरुद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट

आदि जारी नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, एन.ए.आर.सी. स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

उपर्युक्त विचारणाओं के दृष्टिगत, यह साक्ष्य का विशुद्ध मूल्यांकन होने के कारण, उच्च न्यायालय उत्तरदाता को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने का निर्देश देने में न्यायोचित नहीं था।

हाल के समय में, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान हेतु ऐसे अनेक वाद अत्यधिक आवृत्ति से समक्ष आ रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा रखने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सामान्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य नहीं पाए जाते हैं। चूँकि अनेक विषय इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह इस विषय पर पुनर्विचार करे तथा तथाकथित स्वतंत्रता सेनानियों, जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु आगे आने वाले व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करते हैं, के संबंध में उपयुक्त स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करे। उत्तरदाता की विद्वान अधिवक्ता ने कथित किया है कि चूँकि राज्य सरकार ने मृत उत्तरदाता के वाद की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनुदान हेतु अनुशंसा की थी, इसलिए उत्तरदाता-विधवा को इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अभिगमन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। उसे राज्य सरकार के समक्ष अभिगमन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के लिए यह होगा कि वह अपने दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन पर विचार करे तथा गुण-दोष के आधार पर उसका निस्तारण करे।

तदनुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। कोई व्यय नहीं।

टी.एन.ए. अपील अनुज्ञात की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।